

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

बईजलास श्री सुरेन्द्र कुमार सोलंकी, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 2/2019

अपीलार्थी
श्री सुजाराम पुत्र श्री भगाजी
जाति घांची निवासी नितोडा
तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही

बनाम

रेस्पोंडेन्ट
सरकार जरिये
तहसीलदार पिण्डवाडा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री प्रकाश कुमार धवल अधिवक्ता अपीलांत ।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार तहसीलदार सिरौही (पैरोकार सरकार) ।

निर्णय

दिनांक : 11.06.2019

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा उनके मुकदमा संख्या 110/2018 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2018 के विरुद्ध दिनांक 23.01.2019 को प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांत अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोंडेन्ट को सम्मन जारी किया गया ।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री प्रकाश कुमार धवल द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा ग्राम नितोडा पटवार हल्का नितोडा तहसील पिण्डवाडा के खसरा नम्बर 462 रकबा 1.10 बीघा किस्म बंजर पर अपीलार्थी को पश्चातवृत्ति अतिक्रमी मान कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांत को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांत पर तामिल मानते हुए उसे उपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया । अपीलांत को हाजिर बताते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने एवं रूपये 50/- का जुर्माना आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये गये । जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लेना बताया है जिसमें पटवारी द्वारा पूर्व में मौके से बेदखल नहीं करने का अपने बयानों में कहा है । अपीलान्त को जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है ना ही अपीलांत को किसी तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का

प्रथम पेशी पर ही उसके विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है । इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2005(2) पेज 1474, आर.आर.डी. 1993 पेज 465, एवं आर.आर.डी. 2001 पेज 401 प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया ।


रेस्पोंडेंट की ओर से बहस में परोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर काश्त किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नहीं की गई है । अपीलान्त को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है । अपीलान्त आदतन अतिक्रमी है एवं विवादित भूमि सरकारी बिलानाम भूमि है जो नियमों के तहत आवंटन या नियमन नहीं हो सकती राजकीय भूमि की रक्षा करना प्रशासन का प्रथम दायित्व बनता है । यदि राजकीय भूमि अतिक्रमित हो जायेगी तो पशुओं के चराई के उपर भारी संकट उत्पन्न हो सकता है, अतः अपीलान्त की अपील खारिज की जावे ।

मैंने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभाँति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में बंजर दर्ज है । अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संवत् 2074 खरीफ में अतिक्रमण करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसमें पश्चात्वर्ती अतिक्रमण का नोटिस जारी किया गया है । विवादित भूमि रिक्त करने की अपेक्षा की गई थी उक्त नोटिस अपीलान्त को तारीख पेशी से पूर्व तामिल कराया गया था एवं अपीलान्त तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ । तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल शुदा नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद है अपीलान्त अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे पश्चात्वृत्ति अतिक्रमण का नोटिस जारी किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये हैं मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखने पर उसकी उपस्थिति अंकित है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कथन अपने आदेशिका में किया गया है कि अपीलान्त हाजिर है अलग से लिखे गये निर्णय में उसे उपस्थित बताया गया है । पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय पर अपने हस्ताक्षर दिनांक 27.12.2018 को किये जाने पाये जाते हैं । तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा पटवारी के बयानों पर अपने एवं पटवारी के हस्ताक्षर भी किये गये हैं पटवारी द्वारा पूर्व में अतिक्रमण हटाने बाबत कथन अपने बयानों में किया गया है । अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा जुर्माना राशि रुपये

अपीलांट गरीब व्यक्ति है इसलिए उस पर नरमाई का रूख अपनाया जाना विधि सम्मत है उसके कारागृह में रहने के कारण उसका परिवार मानसिक एवं आर्थिक पीडा भुगतने को विवश होगा जो न्याय के विपरित होगा । अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त आरआरटी 2005(2) पेज 1474 रिविजन नं. 51 झुन्झुनु-2002 जो माननीय पी.सी.बलाई सदस्य, राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा दिनांक 17.5.2005 को निर्णित की गई उसके पेरा संख्या 7 में भी नायब तहसीलदार, मलसीसर के सिविल कारावास के निर्णय को अपास्त किया गया है । आरआरडी 1996 पेज 585 की नजीर से भी हम पूर्णतया सहमत है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पारित निर्णय में जुर्माना एवं बेदखली का आदेश यथावत कायम रखते हुए अपीलांट का अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा स्थगन की जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट अतिक्रमित भूमि पर 60 दिन के भीतर भीतर अपना कब्जा हटा कर अधीनस्थ न्यायालय में यह शपथ पत्र/अण्डरटेंकिंग दे देता है, कि उक्त बिलानाम सरकारी भूमि पर वह भविष्य में कभी भी अतिक्रमण नहीं करेगा तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे दी गई सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी । अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय की पालना कराएंगे ।

आदेश आज दिनांक 11.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।


(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला कलक्टर, सिरौही

